२०२५ पत्रावली पेश हुई वकील उभयपक्ष उपस्थित।
दोनों पक्षों की उपस्थिति में राजीनामा पेश किया
जो तस्दीक किया गया। शामिल पत्रावली किया गया।
वकील उभयपक्ष बहस सुनी गई तथा मुताबिक राजीनामा
डिक्री किया जाता है। राजीनामा डिक्री का जुज
रहेगा। निर्णय एवं डिक्री प्रपत्र नं. लिखाये
जाकर शामिल पत्रावली किये गये। पत्रावली
फैसल शुमार होकर नम्बर से खारिज होकर पत्रावली
दाखिल दफ्तर हो।

उपखण्डाधिकारी
बाड़ी (धौलपुर) राज

डिकी व मुकदमे इब्तदाई

(ओ. 20 ए. 6–7 जाब्ता दीवानी)

(Civil procedure Code Appendix 'D'-1)

अज अदालत **उपखण्ड अधिकारी** मुकाम **बाडी जिला धौलपुर (राज0)**
व इजलास **श्री भगवत शरण त्यागी (R.A.S.)**

1. रतनबाई पुत्री श्यामा पत्नि रामरतन जाति कुशवाह निवासी ग्राम बिकमपुरा मजरा बदरैठा तहसील बाडी हाल निवास ग्राम धौर्र तहसील बसेडी जिला धौलपुर
2. उर्मिला पुत्री श्यामा पत्नि पूरनसिंह जाति कुशवाह निवासी ग्राम बिकमपुरा मजरा बदरैठा तहसील बाडी हाल निवास मौहल्ला पटवार घर के पास बाडी तह0 बाडी जिला धौलपुर

बनाम

1. शिवराम पुत्र श्यामा जाति कुशवाह निवासी ग्राम बिकमपुरा मजरा बदरैठा तहसील बाडी जिला धौलपुर
2. प्रबन्धक स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया शाखा गढी सुक्खा
3. तहसीलदार बाडी बहैसीयत लैण्ड होल्डर
4. रम्मो पुत्री श्यामा पत्नि रामचरन जाति कुशवाह निवासी ग्राम बिकमपुरा मजरा बदरैठा तहसील बाडी हाल निवास ग्राम पाती का अड्डा मजरा बृजफल का पुरा तहसील बसेडी जिला धौलपुर
5. सुरेश, बनवारी — पुत्रगण माँ रेशो पुत्र भीकम जाति कुशवाह निवासी ग्राम अगना का अड्डा मजरा ब्रजफल का पुरा तहसील बसेडी जिला धौलपुर

दावा दावत

मुकदमा नं. **130 / 2024**
यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई स्वंय
व हाजरी **श्री अशोक शर्मा, रामवकील गुर्जर एड0** मिनजानिव मुद्दई **श्री सतीश शर्मा एड0** मिनजानिव मुख्यलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिकी दी जाती है

दावा वादीयागण मुताबिक राजीनामा डिकी किया जाकर प्रश्नगत आराजी खसरा नम्बर 442 रकवा 0.3162 बांके ग्राम बदरैठा तहसील बाडी का वादीयागण रतनबाई व उर्मिला बहिस्सा बराबर बराबर एवं आराजी खसरा नम्बर 21 रकवा 0.8094, 22 रकवा 0.177, 23 रकवा 0. 3162, 24 रकवा 0.0253, 25 रकवा 0.2150, 439 रकवा 0.1391, 440 रकवा 0.2403, 441 रकवा 0.2150, 443 रकवा 0.0253, 444 रकवा 0.1770 हैक्टे0 बांके ग्राम बदरैठा तहसील बाडी का प्रतिवादी संख्या 1 शिवराम हिस्सा पूर्ण का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। पूर्व इन्द्राज को कलमजद कर उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे। प्रति0 सं0 4, 5, 6 का प्रश्नगत आराजी में कोई हक व अधिकार नहीं होगा। वादीयागण एवं प्रति0 सं0 1 को स्थाई निषेधाज्ञा से पावन्द किया जाता है कि वे एक दूसरे के हिस्से में आई आराजी के कब्जे काश्त में किसी भी प्रकार की मजाहमत व मदाखलत बैजा न करें। राजीनामा डिकी का जुज रहेगा।

उपखण्डाधिकारी
बाडी (धौलपुर) राज

...... मुबलिग................... बाबत ....खर्चा इस मुकद्दमे के मय सूद व शहर ....
...... सदी सालाना (माफ) की तारीख से तारीख वसूलयावी तक .... को अदा करें।
...... वसूल ...... दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 20 माह 05 साल 2025 को
...... की गई।

दस्तखत ...... उपखण्डाधिकारी

ओहदा उपखण्ड अधिकारी बाडी

मुहर

मुद्दई	रुपया	न.पै.	मुद्दायला	रुपया	न.पै.
स्टाम्प मरजीदावा			स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प अरजी		
स्टाम्प वजह सबूत			महनताना वकील) रू0		
महनतनामा वकील) रू0			खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान			फीस कमिश्नर		
फीस कमिश्नर			बाबत इजराय हुक्मनामा		
बालत इजराय हुक्मनामा			मुतफर्रिक		
मुतफर्रिक					
मीजान			मीजान		

नोट इस फार्म पर कुल खर्चा हर रो फरीकेन का वाहे डिकी के जरिये दिखाया गया हो या/नही खर्च करना चाहिये।

उपखण्डाधिकारी
बाड़ी (धौलपुर) राज

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बाडी जिला – धौलपुर

पीठासीन अधिकारी – **श्री भगवत शरण त्यागी (आर0ए0एस0)**

उनवान

रम्मो बनाम शिवराम

1. रतनबाई पुत्री श्यामा पत्नि रामरतन जाति कुशवाह निवासी ग्राम बिकमपुरा मजरा बदरैठा तहसील बाडी हाल निवास ग्राम धौर्र तहसील बसेडी जिला धौलपुर
2. उर्मिला पुत्री श्यामा पत्नि पूरनसिंह जाति कुशवाह निवासी ग्राम बिकमपुरा मजरा बदरैठा तहसील बाडी हाल निवास मौहल्ला पटवार घर के पास बाडी तह0 बाडी जिला धौलपुर

वादीयागण :–

बनाम

1. शिवराम पुत्र श्यामा जाति कुशवाह निवासी ग्राम बिकमपुरा मजरा बदरैठा तहसील बाडी जिला धौलपुर
2. प्रबन्धक स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया शाखा गढी सुक्खा
3. तहसीलदार बाडी बहैसीयत लैण्ड होल्डर
4. रम्मो पुत्री श्यामा पत्नि रामचरन जाति कुशवाह निवासी ग्राम बिकम्पुरा मजरा बदरैठा तहसील बाडी हाल निवास ग्राम पाती का अड्डा मजरा बृजफल का पुरा तहसील बसेडी जिला धौलपुर
5. सुरेश }
6. बनवारी } पुत्रगण माँ रेशो पुत्र भीकम जाति कुशवाह निवासी ग्राम अगना का अड्डा मजरा ब्रजफल का पुरा तहसील बसेडी जिला धौलपुर

प्रतिवादीगण :–

उपस्थित वादीयागण के वकील – श्री अशोक शर्मा, रामवकील गुर्जर एड0
प्रतिवादीगण के वकील – श्री सतीश शर्मा एड0

दावा अन्तर्गत धारा 88, 188 आर0टी0ए0

दिनांक :– 20.05.2025

दावा सं. 130 / 2024

निर्णय

वादी द्वारा उक्त उनवान का दावा पेश कर निवेदन किया है कि :– आराजी खसरा नम्बर 21 रकवा 0.8094, 22 रकवा 0.1770, 23 रकवा 0.3162, 24 रकवा 0.0253, 25 रकवा 0.2150, 439 रकवा 0.1391, 440 रकवा 0.2403, 441 रकवा 0.2150, 442 रकवा 0.3162, 443 रकवा 0.0253, 444 रकवा 0.1770 हैक्टे0 कुल किता 11 कुल रकवा 2.6558 हैक्टे0 बाँके ग्राम बदरैठा तहसील बाडी जिला धौलपुर में

उपखण्डाधिकारी
बाडी (धौलपुर) राज

स्थित है। मद संख्या 2 में शिजरा फरीकेन अंकित किया। मुताबिक सिजरा विवादित आराजी का पूर्व खातेदार काश्तकार वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 व 4 का पिता तथा प्रतिवादी संख्या 5 व 6 का नाना श्यामा पुत्र थोलू था, जो अपने जीवन पर्यन्त विवादित आराजी पर काबिज रहकर काश्त करता रहा। वादीगण के पिता श्यामा की मृत्यु अर्सा करीब 26 साल पूर्व हो गई और मृतक श्यामा का हिस्सा विरासतन हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के तहत उसके वारिसान वादीगण तथा प्रतिवादी संख्या 1 व 4 व प्रतिवादी संख्या 5 व 6 पर प्रकान्त हुआ। क्योंकि प्रतिवादी संख्या 5 व 6 की माँ यानि श्यामा की पुत्री रेशो का निधन श्यामा के जीवन काल में ही हो गया था और श्यामा की मृत्यु के बाद श्यामा की आराजी पर उसके बारिसान वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 व 4, व 5, 6, काबिज रहकर काश्त करते चले आ रहे है। दिनांक 15.09.2024 को जब वादीगण विवादित आराजी में खड़ी फसल बाजरा की देखभाल कर रहे थे कि तभी प्रतिवादी संख्या 1 विवादित आराजी पर वादीगण के पास आया और वादीगण को यह धमकी दी कि अब तक तुम लोगों ने इन खेतों में बहुत काश्त करली, अब मैं तुम्हे आगे से विवादित आराजी में काश्त नहीं करने दूँगा और तुम्हें विवादित आराजी से बेदखल करके छोडूंगा, क्योंकि विवादित आराजी का खाता मेरे नाम है। अगर तुमने फिर भी विवादित आराजी का कब्जा नहीं छोडा तो मैं विवादित आराजी को किसी लट्ठ वाले ब्यक्ति को रहन वय कर दूँगा। जो तुम्हें विवादित आराजी से लट्ठ के बल पर बेदखल कर देगा। प्रतिवादी संख्या 1 की धमकी से भयभीत होकर जब वादीगण ने राजस्व रिकार्ड की जानकारी की तो वादीगण को पता चला कि वादीगण के पिता श्यामा की मृत्यु के बाद प्रतिवादी संख्या 1 ने राजस्व कर्मचारियो से मिलकर वादीगण के पिता श्यामा के स्थान पर अकेले अपने नाम का विरासत का दाखिला खारिज करवा लिया है। वादीगण व प्रतिवादी संख्या 4 व 5, 6 का नाम खाते में नहीं आने दिया है। प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा राजस्व कर्मचारियो से मिलकर जो विवादित आराजी का खाता अकेले अपने नाम करवा लिया है, उसकी जानकारी वादीगण को आज तक नहीं हो सकी। वादीगण तो प्रतिवादी संख्या 1 के साथ विवादित आराजी पर संयुक्त रुप से काबिज रहकर काश्त करते चले आ रहे है। विवादित आराजी में वादी संख्या 1 1/5 भाग की तथा वादी संख्या 2 1/5 भाग की, प्रतिवादी संख्या 1 1/5 भाग का प्रतिवादी संख्या 4 1/5 भाग की प्रतिवादी 5 व 6 1/5 भाग के खातेदार काश्तकार है तथा मौके पर काबिज रहकर काश्त कर रहे हैं। उपरोक्त हालातों में वादीगण के लिये यह आवश्यक हो गया है कि वह दावा दायर कर अपने अधिकारों की घोषणा करावे तथा प्रतिवादी को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पांबद करावे। दौराने दावा वादीगण में से वादी संख्या 1 व 4, 5 ने प्रतिवादी संख्या 1 शिवराम से मिलकर अपने दावे में राजीनामा पेश कर अपने दावे में हितों को विदड्रॉ कर लिया है। इसलिये न्यायालय श्रीमान की अनुमति से उन्हे पक्षान्तरण करते हुये प्रतिवादी संख्या 4 व 5 व 6 बनाया गया है तथा दावे में उचित संशोधन किया गया है।

इस प्रकार दावा पेश कर वादीया ने निवेदन किया कि :–

यह घोषित किया जावे कि विवादित आराजी में वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 व 4 व 5, 6 वादपत्र की मद संख्या 8 में दर्शाये गये हिस्सों के अनुसार खातेदार काश्तकार है। प्रतिवादी संख्या 1 को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा पांवद किया जावे कि वह

उपखण्डाधिकारी
बाड़ी (धौलपुर) राज

वादीगण के कब्जे काश्त में किसी प्रकार की मजाहमत मदाखलत बेजा नहीं करे। राजस्व रिकार्ड में आवश्यक दुरस्ती की जावे।

दावा दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रति0 द्वारा उपस्थित न्यायालय आकर दोनों पक्षों के मध्य हुए राजीनामा को प्रस्तुत कर वादीयागण का दावा मुताबिक राजीनामा डिकी किये जाने का निवेदन किया। राजीनामा तस्दीक किया जाकर शामिल पत्रावली किया गया।

बहस वकील उभयपक्ष समाअत की गई। पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात एवं राजीनामा का अवलोकन किया गया एवं बहस पर मनन किया गया। वादी द्वारा प्रस्तुत नकल जमाबन्दी सं0 2053–56 में श्यामा पुत्र थोलू का नाम बतौर खातेदार काश्तकार अंकित है। साथ ही नकल जमाबन्दी सं0 2057–60 एवं 2076–79 में शिवराम पुत्र श्यामा का नाम बतौर खातेदार अंकित है। इस प्रकार उक्त जमाबन्दियों से स्पष्ट है कि पूर्व खातेदार श्यामा की मृत्यु के बाद प्रति0 सं0 1 शिवराम ने अकेले अपने नाम का दाखिला खारिज करा लिया और वादीयागण का नाम राजस्व रिकार्ड में नहीं आने दिया है। जो कानूनन गलत है। क्योंकि वादीयागण मृतक श्यामा की वैध पुत्रियां है। जिनका प्रश्नगत आराजी में हिस्सा निहित है। इसके अलावा प्रति0 द्वारा न्यायालय में उपस्थित आकर राजीनामा भी प्रस्तुत किया है। जिसमें अंकित किया है कि **"विवादित आराजी खसरा नम्बर 442 रकवा 0.3162 बांके ग्राम बदरैठा तहसील बाडी की वादीयागण रतनबाई व उर्मिला व हिस्सा बराबर बराबर की खातेदार काश्तकार रहेंगी। विवादित आराजी खसरा नम्बर 442 रकवा 0.3162 से प्रतिवादी संख्या 1 शिवराम का कोई सम्बंध व सरोकार नहीं रहेगा। विवादित आराजी खसरा नम्बर 21 रकवा 0.8094, 22 रकवा 0.177, 23 रकवा 0.3162, 24 रकवा 0.0253, 25 रकवा 0.2150, 439 रकवा 0.1391, 440 रकवा 0.2403, 441 रकवा 0.2150, 443 रकवा 0.0253, 444 रकवा 0.1770 हैक्टे0 बांके ग्राम बदरैठा तहसील बाडी का प्रतिवादी संख्या 1 शिवराम खातेदार काश्तकार रहेगा तथा वादीयागण व उनके बारिसान का उक्त खसरा नम्बरों से किसी प्रकार का कोई सम्बन्ध व सरोकार नहीं रहेगा। प्रतिवादी संख्या 4 रम्मो व प्रतिवादी सख्या 5 सुरेश व प्रतिवादी सख्या 6 बनवारी ने अपने हकों को जरिये राजीनामा वापिस कर लिया है। प्रतिवादी संख्या 4, 5, 6 का विवादित आराजी में कोई हक व अधिकार शेष नहीं है।"** प्रस्तुत राजीनामा लोकहित की भावना से प्रस्तुत किया गया है। जिसे स्वीकार किया जाना न्याय हित में है। इस प्रकार उपरोक्त विवेचन के आधार पर मेरी राय में वादीयागण का वाद मुताबिक राजीनामा डिकी किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

अतः आदेश है कि दावा वादीयागण मुताबिक राजीनामा डिकी किया जाकर प्रश्नगत आराजी खसरा नम्बर 442 रकवा 0.3162 बांके ग्राम बदरैठा तहसील बाडी का वादीयागण रतनबाई व उर्मिला बहिस्सा बराबर बराबर एवं आराजी खसरा नम्बर 21 रकवा 0.8094, 22 रकवा 0.177, 23 रकवा 0.3162, 24 रकवा 0.0253, 25 रकवा 0.2150, 439 रकवा 0.1391, 440 रकवा 0.2403, 441 रकवा 0.2150, 443 रकवा 0.0253, 444 रकवा 0.1770 हैक्टे0 बांके ग्राम बदरैठा तहसील बाडी का प्रतिवादी संख्या 1 शिवराम हिस्सा पूर्ण का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। पूर्व इन्द्राज को कलमजद कर उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे। प्रति0 सं0 4, 5, 6 का प्रश्नगत आराजी

उपखण्डाधिकारी
बाड़ी (धौलपुर) राज

में कोई हक व अधिकार नहीं होगा। वादीयागण एवं प्रति0 सं0 1 को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वे एक दूसरे के हिस्से में आई आराजी के कब्जे काश्त में किसी भी प्रकार की मुजाहमत व मदाखलत बैजा न करें। राजीनामा डिकी का जुज रहेगा। निर्णय मुताबिक डिकी जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया ।

उपखण्ड अधिकारी
बाड़ी

उपखण्डाधिकारी
बाड़ी (धौलपुर) राज